

क्रमांक 169/बो.प्र./नि.स./2022/

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दिनांक /03/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 169/बो.प्र./नि.सहा./2022

अपीलार्थी

श्री अनिल कुमार उमरे
सबरस होटल के पीछे
चंद्रा कालोनी, राजनांदगांव
जिला — राजनांदगांव (छ.ग.)
पिन — 491441
मो.नं. — 7089595325

विरुद्ध

उत्तरवादी

श्री एल.बी. शाह
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 07.03.2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अनिल कुमार उमरे के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2022 जो कार्यालय में दिनांक 23.02.2022 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 07.03.2022 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी.शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी श्री अनिल कुमार उमरे, उपस्थित थे।

2 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को विभाग में पदस्थ श्री शंकर राव पात्रे के बारे में 4 बिन्दु की जानकारी क्रमशः (1) संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित छायाप्रति (2) मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) की प्रमाणित छायाप्रति (3) किस वर्ग (SC/ST/OBC/GEN) से नियुक्ति की गई है उनकी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, (4) नियुक्ति की पदक्रम सूची की प्रमाणित छायाप्रति समय-सीमा के अंदर प्रदान करने हेतु दिनांक 06.01.2022(कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 11.01.2022) को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जनसूचना अधिकारी द्वारा इस बारे में संबंधित अधिकारी श्री शंकर राव पात्रे, सहायक वर्ग-2, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) (जिन्हें आगे तृतीय पक्ष उद्बोधित किया जावेगा) को कार्यालयीन पत्र दिनांक 14.01.2022 द्वारा जानकारी देने हेतु सहमति पत्र लिखा गया, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा उनके पत्र दिनांक 21.01.2022 से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु असहमति व्यक्त की गई। इस बाबत उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/07/छ.ग./2021/602 दिनांक 22.01.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया कि श्री शंकर राव पात्रे की नियुक्ति दिनांक 30.06.1993/14.07.1993 को म.प्र. शासन, भोपाल द्वारा किया गया है तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय

...2

में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी पदस्थापना से संबंधित 02 पृष्ठ की जानकारी हेतु दस्तावेज शुल्क 4/- की मांग की गयी। साथ ही अपीलार्थी को अवगत कराया कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी यथा-संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत जानकारी देने में असहमति व्यक्त किया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील उनके पत्र दिनांक 21.02.2022, जो कार्यालय में दिनांक 23.02.2022 को प्राप्त हुआ, प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी श्री अनिल कुमार उमरे, राजनांदगांव के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने बताया कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत नहीं है, अतः जनसूचना अधिकारी को उन्हें प्रदाय किया जाना था। उनके द्वारा चाही गई जानकारी जनसूचना अधिकारी ने नहीं दी है, इसलिए उन्होंने प्रकरण पर अपील प्रस्तुत की है, ताकि दस्तावेज प्राप्त हो सके।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा बताया गया कि चाही गई जानकारी यथा शैक्षणिक योग्यता, एवं जाति प्रमाण-पत्र तृतीय पक्ष से संबंधित होती है जो तृतीय पक्ष के अनुमति के बिना प्रदाय नहीं की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (जे.) के तहत किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त चाही गई जानकारी में मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) तथा नियुक्ति की पदक्रम सूची मध्यप्रदेश के कार्यकाल की है जो उनकी सेवा पुस्तिका में उपलब्ध नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध चाहे गये तृतीय पक्ष की वर्तमान पदस्थापना एवं वर्तमान पदक्रम सूची की जानकारी प्राप्त करने अपीलार्थी को राशि रु. 4/- जमा करने बाबत दिनांक 22.01.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था।

5. जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत पत्र दिनांक 04.03.2022 में लेख किया गया था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री शंकर राव पात्रे, सहायक वर्ग-2 की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.06.1993/14.07.1993 को प्रमुख अभियंता, भोपाल द्वारा की गयी थी, आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय, रायपुर में उपलब्ध नहीं है। तृतीय पक्ष द्वारा असहमति व्यक्त करने पर तथा कार्यालय में उपलब्ध 2 पृष्ठ की जानकारी हेतु दस्तावेज शुल्क 4/- जमा करने, कार्यालयीन पत्र दिनांक 22.01.2022 द्वारा अपीलार्थी को इस बाबत समय-सीमा में सूचित कर दिया गया था।

6. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है? इस संबंध में यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत कार्यवाही करते हुए तृतीय पक्ष को जानकारी प्रदाय हेतु सहमति/असहमति के संबंध में पत्र लिखा गया। तृतीय पक्ष द्वारा असहमति व्यक्त किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जानकारी यथा-संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता एवं

जाति प्रमाण पत्र की जानकारी प्रदाय नहीं की गई। साथ ही प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध जानकारी उनकी वर्तमान पदस्थापना से संबंधित है, जिसकी मांग अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में नहीं की गयी है।

7. किसी शासकीय सेवक की शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी उस शासकीय सेवक की व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। तत्संबंध में अधिनियम की धारा 8 (1) (J) का उद्धरण निम्नानुसार है :-

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी -

(J) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

अतः अधिनियम की उक्त धारा 8 (1) (J) के तहत किसी शासकीय सेवक की शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी नहीं प्रदान किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा “गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त 2013 1 SCC 212” एवं “आर.के. जैन बनाम भारत संघ 2013 14 SCC 794” में प्रतिपादित सिद्धांत के तहत किसी शासकीय सेवक के व्यक्तिगत विवरण को अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में माना है। इसके अलावा विचाराधीन अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा फर्जी जाति के आधार पर नौकरी हासिल किये जाने की आशंका व्यक्त की गई है। अतः आशंका के आधार पर इसे व्यापक लोक हित का मामला शामिल होना नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अपीलार्थी को इस बाबत आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया के तहत सक्षम फोरम में वाद दायर किया जाना चाहिए। एक अन्य प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा “केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाम सुभाषचंद्र अग्रवाल 2020 5 SCC 481” के पैरा 59 में व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :-

[59] Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are all treated as personal information. Similarly, professional records, including qualification, performance, evaluation reports, ACRs, disciplinary proceedings, etc. are all personal information. Medical records, treatment, choice of medicine, list of hospitals and doctors visited, findings recorded, including that of the family members, information relating to assets, liabilities, income tax returns, details of investments, lending and borrowing, etc. are personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive.

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु क्र. 1 एवं 3 की जानकारी यथा संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित छायाप्रति तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में आते हैं।

8. अब प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु क्र. 2 एवं 4 की जानकारी मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) तथा नियुक्ति के समय की पदक्रम सूची की प्रमाणित छायाप्रति इस लोक प्राधिकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय नवा रायपुर द्वारा धारित दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं ? किसी शासकीय सेवक की मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) नियोजक द्वारा जारी एक शासकीय दस्तावेज है, जिसके आधार पर अनुशंसित उम्मीदवार द्वारा अपनी सेवाएं शासकीय कार्य हेतु दी जाती है। इसे नियोक्ता द्वारा शासकीय सेवक की नियुक्ति के समय जारी किया जाता है। जन सूचना अधिकारी ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि कार्यालय के संबंधित कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री शंकर राव पात्रे, सहायक वर्ग-2 की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.06.1993/14.07.1993 को मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा सहायक वर्ग-3 के पद पर की गयी थी, आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी इस लोक प्राधिकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय, रायपुर में उपलब्ध नहीं है। साथ ही नियुक्ति के समय की पदक्रम सूची तत्समय के नियुक्तकर्ता अधिकारी के कार्यालय में ही उपलब्ध हो सकती है। अतः आवेदक यदि चाहें तो आवेदन की शेष जानकारी - मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) तथा नियुक्ति के समय की पदक्रम सूची की प्रमाणित छायाप्रति हेतु कार्यालय मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, ग्वालियर (म.प्र.) के जन सूचना अधिकारी को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। जन सूचना अधिकारी द्वारा समय सीमा में अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

9. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :-

- (1) अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी यथा संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित छायाप्रति तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में आने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकती है।
- (2) अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष जानकारी यथा मूल पदस्थापना (नियुक्ति पत्र) तथा नियुक्ति के समय की पदक्रम सूची की प्रमाणित छायाप्रति हेतु, अपीलार्थी यदि चाहें तो कार्यालय मुख्य अभियंता, चंबल बेतवा कछार, ग्वालियर (म.प्र.) के जन सूचना अधिकारी को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रथम अपील निराकृत की जाती है।

(5)

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से क्षुब्ध पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.), पिन-492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(अरुण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 169/बो.प्र./नि.स./2022/...**2214**

नवा रायपुर, दिनांक **08**/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता (एम.आई.एस.), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अनिल कुमार उमरे, सबरस होटल के पीछे, चंद्रा कालोनी, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन - 491441 मोबाईल नंबर - 7089595325 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी) एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

